।।सर्वे सन्तु निरामयाः।।
(Government of Rajasthan undertaking)

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2022-23/391 दिनांक : 30.05.2022

कार्यालय आदेश

M/s Agron Remedies Pvt Ltd, Sarvarkhera, Moradabad Road, Kashipur, Uttarakhand, 244713 की निविदा क्रमांक F.02(268)/RMSCL/Proc./Drug/NIB-10/2019/834 दिनांक 09.07.2019 के तहत् औषधि Glimepiride Tab IP 2 Mg[289] की दरों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक - 2891 दिनांक 28.11.2019, 4059 दिनांक 25.03.2020 जारी किये गये थे।

उक्त क्रय आदेशों की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट किये जाने पर औषधि के 02 बैचों को अमानक कोटि का घोषित किया गया। तत्पश्चात् नमूने को पुनः जाँच हेतु केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, कोलकत्ता भेजा गया, जिसमें औषधि के 02 बैच GID-03, M/D-12/2019, E/D- 11/2021 एवं GID-07, M/D-05/2020, E/D- 04/2022 को Dissolution Test व Test for related substances में अमानक कोटि के पाये जाने की पुष्टि हुई। इस संबंध मे निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया।

प्रकरण मे बैच संख्या GID-03, M/D-12/2019, E/D- 11/2021 को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 20.01.2022 को आयोजित की गई, में रखा गया। अनुशासनात्मक समिति के निर्णयानुसार फर्म की औषधि Glimepiride Tab IP 2 Mg[289] को निगम के आदेश क्रमांक 1762 दिनांक 17.02.2022 से 01(एक) वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया गया था। चूंकि केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, कोलकत्ता द्वारा बैच नम्बर GID-07, M/D-05/2020, E/D- 04/2022 को Test for related substances में अमानक कोटि के पाये जाने की पुष्टि होने से अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 26.04.2022 को आयोजित की गई में रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया। फर्म द्वारा अमानक कोटि औषधि के दो बैचों (GID-03, GID-07) की आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन व निविदा की शर्त के तहत् Not of Standard Quality के साथ-साथ Grossly Substandard की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जित दिशा-निर्देशो (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28.08.2018 के क्लॉज 4.6(2) के तहत् निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Agron Remedies Pvt Ltd, Sarvarkhera, Moradabad Road, Kashipur, Uttarakhand, 244713 की औषधि Glimepiride Tab IP 2 Mg[289] को विभाग के पूर्व में जारी आदेश दिनांक 17.02.2022 से 02(दो) वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

अनुपमा जोरवाल
आइ.ए.एस
प्रबन्ध निदेशक

RAJASTHAN MEDICAL SERVICES CORPORATION RMSC
।।सर्वे सन्तु निरामयाः।।
(Government of Rajasthan undertaking)

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2022-23/391 दिनांक : 30.05.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मिशन निदेशक,एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक,पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
6. औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
7. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/ औषधि नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
8. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
9. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
10. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं सं.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
12. समस्त चिकित्सा सेवा निगम, गुजरात/केरल/तमिलनाडु/बिहार/छत्तीसगढ़/पश्चिम बंगाल/ कर्नाटक/हरियाणा/ मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र/जम्मू कश्मीर।
13. M/s Agron Remedies Pvt Ltd, Sarvarkhera, Moradabad Road, Kashipur, Uttarakhand, 244713
14. आदेश पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (क्यू.सी.)